कृष्णन

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधित्व

(आपराधिक अपील संख्या 841/2008)

8 मई, 2008

(एस.बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंटा, जे.जे.)

<u>प्रमाण:</u>

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की वैधता केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त को अपराध करने से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। अभियुक्त का नाम न तो शिकायत में है और न ही एफआईआर में है। घटना से पहले घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी साबित नहीं हुई। रिकॉर्ड पर इस आशय के साक्ष्य हैं कि अभियुक्त पहले संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ गवाह के रूप में पेश हुआ था। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्षों का मूल्यांकन स्पष्ट त्रुटि और रिकॉर्ड पर सबूतों की अनुचित सराहना से ग्रस्त है। अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया। अभियुक्त को

संदेह का लाभ देते हुए आरोप से बरी कर दिया गया। दंड संहिता, 1860-एसएस, 302/34

अपीलकर्ता (ए-1) पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत ए-2 (ए-3 की पत्नी) के साथ पीडब्ल्यू-1 की पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के तहत मुकदमा चलाया गया था, जबकि ए- 3 पर धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्ल्यू-1 और ए-2 और ए-3 के परिवार के सदस्य घर के सामने नाली के पानी के बहाव और ए-2 और ए-3 द्वारा ऑटो रिक्शा की पार्किंग के मुद्दे पर अक्सर झगड़ते थे। घटना के दिन पीडब्ल्यू-1 की पत्नी अपने घर से गायब पाई गई। उसके अगले दिन पीडब्ल्यू-3 ने पीडब्ल्यू-1 को बताया कि उसने देखा कि उसकी पत्नी का शव ए-2 और ए-3 के घर में अन्दर पड़ा हुआ था और उनके दोनों हाथ व पैर सरियों से बंधे हुए थे।

उसने पीडब्ल्यू-1 को यह भी बताया कि पिछले दिन उसने ए-2 को उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करते देखा था। इसके बाद पीडब्ल्यू-1 ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। पीडब्ल्यू-18 पुलिस निरीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे, पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ए-2 और ए-3 को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी ने ए-2 का इकबालिया बयान दर्ज किया। ए-2 और ए-3 की निशांदेही पर मृतका के

गहने बरामद किए गए। बाद में ए-1 को भी गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला घोंटने और दम घुटने से मृत्यु हुई। विचारण न्यायालय ने ए-1 और ए-2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ए-3 को आरोप से बरी कर दिया गया। ए-1 और ए-2 की दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

ए-1 द्वारा दायर अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उसे अपराध से जोड़ने या यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह घटना से पहले ए-2 और ए-3 के घर गया था जहां से शव बरामद हुआ था और उन्हें पुलिस अधिकारियों, पीडब्ल्यू-17 और पीडब्ल्यू-18 द्वारा मामले में झूठा फंसाया गया था, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स एसोसिएशन के सचिव और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में श्रमिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए पहले उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने पुलिस और कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन में भाग लिया था जिसके परिणामस्वरूप पीडब्ल्यू 17 और 18 को स्थानांतरित कर दिया गया था।

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

अभिनिर्धारित 1.1 वर्तमान मामले में अभियुक्त को अपराध करने से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने से पहले पूर्ववर्ती शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। (पैरा 13) (1039-जी)

गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1982) 2 एससीसी 351: एआईआर 1982 एससी 1157; रामा नंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1981) 1 एससीसी 511: एआईआर 1981 एससी 738; प्रेम ठाकुर बनाम पंजाब राज्य (1982) 3 एससीसी 462: एआईआर 1983 एससी 61; ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (1983) 2 एससीसी 330: एआईआर 1983 एससी 446; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1986 सुप्प्ल. एससीसी 676: एआईआर 1987 एससी 1921; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1987) 1 एससीसी 1: एआईआर 1987 एससी 350; हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य: एआईआर 1952 एससी 3443; सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193; शशि जेना एवं अन्य बनाम खादल स्वैन और अन्य (2004) 4 एससीसी 236; और शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: एआईआर 1984 एससी 1622 पर भरोसा किया गया।

1.2 रिकॉर्ड पर सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.-1 ने प्रदर्श पी 01 शिकायत में अपनी पत्नी की हत्या के हमलावर के रूप में ए-1 का नाम नहीं लिया था। पी-1 उसके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी-14, पी.डब्ल्यू-18 द्वारा पंजीकृत किया गया। इस गवाह की गवाही से यह स्थापित नहीं हुआ है कि ए-1 उसकी पत्नी की हत्या के समय और दिन में ए-2 और ए-3 के घर में मौजूद था। शिकायत लिखने वाले पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-6 की गवाही की बारीकी से जांच करने पर प्रदर्श पी-1, पी.डब्ल्यू.-1 के उदाहरण पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने ए-2 और ए-3 के घर में ए-1 की उपस्थिति साबित नहीं की है। (पैरा 15-17) (1024-डी-ई; 1044-सी-डी; 1042-एफ)

2.1 पी.डब्ल्यू.-17 सब इंस्पेक्टर और पी.डब्ल्यू.-18 पुलिस निरीक्षक ने अपनी गवाही में कहा कि ए-1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने के नाते, प्रशासन के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए कई प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल था। इन दोनों गवाहों की गवाही यह बताती है कि इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उक्त मामले में ए-1 गवाह के रूप में पेश हुआ और उनके खिलाफ गवाही दी। इनके खिलाफ जांच हुई और बाद में इन्हें थाने से स्थानान्तरण कर दिया गया। पीडब्ल्यू-17, पीडब्ल्यू-18 के साक्ष्यों के अनुसार निस्संदेह वे पक्षद्रोही गवाह हैं, क्योंकि उनके द्वारा ए-1 के खिलाफ गवाही दी गई, जिसे बाद में इन

गवाहों द्वारा मुख्य रूप से संदेह और असंभवता के आधार पर अपराध में फंसाया गया प्रतीत होता है। पीडब्ल्यू-6 जो जमात का सदस्य है उसने स्वीकार किया कि वर्ष 1994 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीने के पानी की उचित और पर्याप्त पूर्ति न करने के लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन किया था जिसमें कई पार्टी कार्यकर्ताओं पर उस पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा हमला किया गया था, जहां पी.पीडब्ल्यू-17 और 18 प्रासंगिक समय पर कार्यरत थे। (पैरा 16 और 19) (1044-एफ-एच; 1045-ए; 1043-ए-सी)

2.2 यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ए-1 का ए-2 के साथ अवैध संबंध था और/या यह ए-1 और ए-2 द्वारा मृतका की हत्या का कारण था। किसी ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक साक्ष्य के अभाव में केवल परिकल्पना और संदेह के आधार पर ए-1 को मृतका की हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। (पैरा-19) (1045-एफ-जी)

3. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य के स्वतंत्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ए-1 के खिलाफ मृतका की हत्या के आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। घटना के दिन प्रासंगिक समय पर ए-2 और ए-3 के घर पर ए-1 की उपस्थिति के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1, 3, 4 और 5 की गवाही में भौतिक विसंगतियां और सोचा-समझा सुधार हैं,

इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों का मूल्यांकन त्रुटियुक्त और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की अनुचित सराहना से ग्रस्त है। इस प्रकार, चूंकि रिकॉर्ड पर आने वाले साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, ए-1 संदेह के लाभ का हकदार है। ए-1 की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है और उसे संदेह का लाभ देकर हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। (पैरा 20-21) (1046-सी-एफ)

1996 की आपराधिक अपील संख्या 826 में मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07.02.2006 से

अपीलार्थी की ओर से योगेश खन्ना, के.मायील साम्य व वी.एन.रघुपति

प्रतिवादी की ओर से वी.जी. प्रगासम, एस.जे. अरस्तू और प्रभु रामसुब्रमण्यम

<u>न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया</u>

लोकेश्वर सिंह पंटा, जे. 01. याचिका स्वीकृत

02. कृष्णन ने यह अपील आपराधिक अपील संख्या 826/1996 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 07.02.2006 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें उच्च

न्यायालय द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, शिवगंगा के मामला संख्या 41/1996 अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध एवं आजीवन कारावास की सजा के निर्णय की पुष्टि की गई है।

03. तीनों अभियुक्त कृष्णन (ए-1), तमिलारसी (ए-2) और उसके पति मुथुरमन (ए-3) को प्रिंसिपल सत्र न्यायाधीश, शिवगंगा के न्यायालय की फाइल पर सत्र मामला संख्या 41/1996 में आरोपित किया गया था। ए-1 और ए-2 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के तहत मुकदमा चलाया गया। ए-3 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414 के तहत मुकदमा चलाया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने ए-1 और ए-2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 और 414 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। ए-1 ने आपराधिक अपील संख्या 816/1996 में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी एवं ए-2 ने आपराधिक अपील संख्या 249/1998 में अपील की।

04. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः-

सिद्दीक (पीडब्ल्यू-1) अपनी पत्नी रसीथा बेगम, बहनें- अमसथ (हमसथ) बेगम, सबीथा बेगम (पीडब्ल्यू-4), फरिता बेगम (पीडब्ल्यू-5)

और भाई अलीयार के साथ मेहबोबपालयम, मिनाचीपुरम, कराईकुडी में एक किराये के घर में रह रहा था। पीडब्ल्यू-1 कलाकाई वाडिवेल मुरुगन लॉरी में सफाईकर्मी के रूप में काम करता है। पीडब्ल्यू-1 के घर के दक्षिणी हिस्से में, मुथुरमन (ए-3), एक ऑटो चालक और उसकी पत्नी तमिलारसी (ए-2) रहते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि एक तरफ पीडब्ल्यू-1 के परिवार के सदस्य और दूसरी तरफ ए-2 और ए-3 के परिवार के सदस्य जल निकासी के पानी के प्रवाह और पी.डब्ल्यू-1 के घर के सामने ए-3 द्वारा ऑटो-रिक्शा की पार्किंग के मामूली मुद्दों पर अक्सर एक-दूसरे से झगड़ रहे थे। दिनांक 28.03.1995 को रात लगभग 9:45 बजे पीडब्ल्यू-4 लॉरी शेड में गया, जहां पीडब्ल्यू-1 काम करता है और उसने उसे सूचित किया कि 28.03.1995 की सुबह से रसीथा बेगम घर से गायब थी। वह पीडब्ल्यू-4 के साथ रात करीब 11:00 बजे घर आया और पड़ोस में अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सका। बाद में, पीडब्ल्यू-1 की दूसरी बहन अमसथ ने उसे बताया कि सुबह लगभग 9:30 बजे उसकी भाभी (रसीथा बेगम) एक टेलर मास्टर की दुकान पर उससे अपना ब्लाउज लेने गई और उस समय उन्होंने नई साड़ी पहनी हुई थी। पीडब्ल्यू-1 रसीथा बेगम की तलाश में टेलर मास्टर, कटिनीवासल, न्यू रोड की दुकान और देवकोटई में उसके ससुराल वालों के घर गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। 29.03.1995 को सुबह लगभग 9:30 बजे, पीडब्ल्यू-1 घर लौटा और मुमताज (पीडब्ल्यू-3) अपनी पडोसी

से अपनी पत्नी के घर से लापता होने के संबंध में पूछताछ की। पीडब्ल्यू-3 ने बताया कि दिनांक 28.03.1995 को सुबह लगभग 10:30 बजे उसने देखा कि रशीता बेगम और ए-2 एक-दूसरे से झगड़ रहे थे, लेकिन उसने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर नोकझोंक हो जाना, यह व्यावहारिक रूप से उनकी दैनिक आदत थी। पीडब्ल्यू-3 ने यह भी खुलासा किया कि 29 तारीख की सुबह जब वह फरीता बेगम (पीडब्ल्यू-5), फातिमा बीवी और रखुमत बीवी के साथ ए-2 और ए-3 के घर की पूर्वी तरफ की खिड़की से झाँक रही थी, तो उन्होंने देखाकि रसीथा बेगम उनके घर के फर्श पर लेटी हुई थी और उसके दोनों पैर और हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने उसके शव पर एक चावल का थैला और कुछ घरेलू सामग्री रखी हुई देखी। इसके बाद, पीडब्ल्यू-1 पुलिस स्टेशन गया और शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई, जिसके आधार पर उपनिरीक्षक मुरुगन (पीडब्ल्यू-17) ने अपराध संख्या 145/95 (पूर्व) प्रदर्श पी-14, कराईकुडी (उत्तर) पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज की।

05. बालाकृष्णन (पीडब्ल्यू-18), पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, घटना स्थल पर गए और महजार (प्रदर्श पी-4) और मृत्यु जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी 15) पंचायतरारों की उपस्थिति में तैयार की। उन्होंने स्पॉट मैप तैयार किया (प्रदर्श पी-16) और पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-4, पीडब्ल्यू-5 और अन्य

महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए। उसी दिन उन्होंने रसीथा बेगम के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल, कराईकुडी भेजा। दिनांक 10.04.1995 को पीडब्ल्यू-18 ने कराईकुडी वॉटर टैंक के पास से ए-2 और ए-3 को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने गोविंदम (पीडब्ल्यू-12) की उपस्थिति में ए-2 के जुर्म स्वीकार बयान दर्ज किये, जिससे 22 कैरेट काले मोतियों वाली सुनहरी करुकुमणि की बरामदगी हुई। वह ए-3 को थिरुमुरुगन अम्मान सन्निदी ज्वेलरी शॉप में ले गया और समीनाथन (पीडब्ल्यू-13) की उपस्थिति में एमओएम 02 (प्रदर्श पी 7) बरामद किया। दिनांक 18.05.1995 को ए-1 को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

06. डॉ. सीनिवासन (पीडब्ल्यू-2) मे दिनांक 29.03.1995 को रसीथा बेगम के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) के अनुसार उन्होंने निम्नलिखित चोटें देखीः-

बाहरी चोटेंः-

1. विघटन के लक्षण अंगों को छोड़कर पूरे शरीर में सूजन दिखाई देना,

2. नाक और मुंह से दुर्गंधयुक्त स्राव आना,

3. दोनों बांहों में रस्सी का निशान,

4. चेहरे का बायां भाग पर खरोंच और सूजन के साथ काला पड़ना,

5. आँख की पलकें बंद तथा जीभ बाहर,

6. मुंह में रूमाल नजर आया।

दांत 8/8

आंतरिक चोटें:

पेट गैस से फूला हुआ। वक्ष पसलियाँ सामान्य, फेफड़ों में जमाव, हृदय खाली, गर्दन-इकोमोसिस और गर्दन के पूर्व भाग में जमाव मौजूद, हाइपोइड हड्डी-फ्रैक्चर, एचपीई के लिए भेजें, पेट में पचे हुए भोजन के 50 मिलीलीटर कण होते हैं, गैस से आंत फूली हुई, जिगर में जमाव, तिल्ली में सिकुड़ाव, गुर्दा सिकुड़ा हुआ, मूत्राशय खाली, गर्भाशय-10 सप्ताह का आकार, खोपड़ी में बाएं पाश्विका क्षेत्र में 6 सेमी गुणा 4 सेमी आकार होता है। खोपड़ी की हड्डी टूटने का कोई सबूत नहीं, मस्तिष्क आंशिक रूप से द्रवित हो गया। नमूना संरक्षित-पेट, आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, हाइपोइड हड्डी।

डॉक्टर की राय में मृत्यु का कारण मृतका का गला घोंटना पोस्टमार्टम से लगभग 24-30 घंटे के भीतर दम घुटना बताया गया।

07. जांच पूरी होने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) प्राप्त होने पर और अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर कथित अपराध के लिए पीडब्ल्यू-18 द्वारा ए-1, ए-2 और ए-3 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कराईकुडी ने मुकदमे को विद्वान सत्र न्यायाधीश को कमिट किया, जिसने ए-1, ए-2 के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के तहत मृतका के शव से 14 ग्राम सोने के आभूषण निकालने के आरोप लगाए और ए-3 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414 के तहत आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 18 गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अपराध में अपनी संलिप्तता से इन्कार किया और कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाया गया है और अंत में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, उनके द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है कि अपराध में ए-1, ए-2 और ए-3 को संलिप्त करने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पी.डब्ल्यू-1, 3, 4, 5, 17 और 18 के साक्ष्यों के आधार पर ए-1 और ए-2 को रसीथा बेगम की हत्या का दोषी ठहराया और तदनुसार, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के तहत बरी कर दिया गया। ए-3 को उसके खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूतों के अभाव में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414 के

तहत अपराध से बरी कर दिया गया है। ए-1 और ए-2 ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत उपरोक्त दो अलग-अलग अपीलें दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सामान्य आदेश द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत ए-1 और ए-2 पर दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

09. कृष्णन (ए-1) इस अपील में हमारे सामने अपीलकर्ता हैं।

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच की है।

11. ए-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कन्ना ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना कीः

(1) विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के अत्यधिक अविश्वसनीय, अपर्याप्त और असंबद्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में घोर त्रुटि की है,

(2) यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है कि घटना के दिन ए-1 घटना होने के पूर्व ए-2 व ए-3 के घर गया था जहां दिनांक 29.03.1995 को रसिथा बेगम की लाश पड़ी हुई थी।

(3) कि पीडब्ल्यू 1 ने शिकायत प्रदर्शन पी-1 में ए-1 का नाम नहीं दिया है जिसके आधार पर एफआईआर (प्रदर्श पी-14) पीडब्ल्यू 18 द्वारा दर्ज किया गया था।

(4) ए-1 को (सब-इंस्पेक्टर मुरुगन पीडब्ल्यू-17 और इंस्पेक्टर बालाकृष्णन पीडब्ल्यू-18 द्वारा) अपराध में झूठा फंसाया गया है, जिनके खिलाफ ए-1 ने सिल्वर लेबर एसोसिएशन के सचिव होने के नाते वर्ष 1994 में शिकायत दर्ज की थी। सिल्वर पेट्राई के मालिक के खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने वाले सिल्वर पेट्राई के श्रमिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ए-1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक संक्रिय सदस्य और पदाधिकारी है और वर्ष 1994 में उसने अन्य पार्टी साथियों के साथ मिलकर पेयजल कराईकुडी और तिरूपत्तूर क्षेत्र में सुविधाओं की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में पुलिस और कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ए-17 और ए-18 के द्वारा किए कार्य एवं कार्यो में चूक के कृत्यों के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन, कराईकुडी (उत्तर) से स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन फिर से उन्हें उसी पुलिस स्टेशन में पुनः स्थानान्तरित किया गया था।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वीजी प्रगासम ने निर्णय के समर्थन में कहा कि ए-1 के खिलाफ दोषसिद्धि के निर्णय में विचारण न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए

कारण अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की उचित सराहना के आधार पर पूर्णतः सही है। उन्होंने यह कथन किया कि पी.डब्ल्यू-1, 3, 4 और 5 के साक्ष्य सपठित पी.डब्ल्यू.-17 और 18 की साक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट एवं संतोषजनक है एवं अपीलार्थी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है एवं इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखे गए विचारण न्यायालय के तर्कसंगत एवं मेरिट पर दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तकों पर ध्यान देने से पहले, हम इस बात पर जोर देंगे कि वर्तमान मामले में अभियुक्त को अपराध करने और अभियोजन मामले से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में लगातार यह माना है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:-

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए,

(2) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हो,

(3) परिस्थितियों को संचयी रूप से लेते हुए इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं, और

(4) दोषसिद्धि करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण होनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी बेगुनाही से असंगत होना चाहिए।

यह भी देखें रामानंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2 (1981) 1 एससीसी 511 (एआईआर 1981 एससी 738), प्रेम ठाकुर बनाम पंजाब राज्य, 3 (1982) 3 एससीसी 462: (एआईआर 1983 एससी 61), इयरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 4 (1983) 2 एससीसी 330: (एआईआर 1983 एससी 446), ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 5 1986 Suppl. एससीसी 676: (एआईआर 1987 एससी 1921), बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 6 (1987) 1 एससीसी 1: (एआईआर 1987 एससी 350)

1952 में हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एमपी राज्य, 7 (एआईआर 1952 एससी 3443) मामले में, यह इस प्रकार देखा गया थाः

> ''यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रथमतः पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के सुसंगत होने चाहिए। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो सिद्ध होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को नकार दें। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक श्रृंखला इस हद तक पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 8 (1984) 4 एससीसी 116: (एआईआर 1984 एससी 1622) के बाद के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह माना गया है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर था कि

श्रृंखला पूरी है और अभियोजन में कमी की कमजोरी को झूठे बचाय या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने से पहले, इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। वे हैं (एससीसी पेज 185, पैरा 153):

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए,

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न

छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

14. हम सी.चेंगा रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ एपी, 9(1996) 10 एससीसी 193 में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया है: (एससीसी पीपी. 206-207, पैरा 21)

> ''21. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

शशि जेना और अन्य में बनाम खादल स्वैन और अन्य 10, (2004) 4 एससीसी 236, इस न्यायालय ने फिर से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कानून के सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया।

15. उपरोक्त प्रतिपादित कानून के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा ए-1 के खिलाफ इस मामले में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक देखा और जांचा गया। रसीथा बेगम मृतका के पति पीडब्ल्यू-1 ने शिकायत में अपनी पत्नी की हत्या के हमलावर के रूप में ए-1 का नाम नहीं लिया था (प्रदर्श पी 1) उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करायी गयी जिसके आधार पर एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी 14) पीडब्ल्यू-18 द्वारा पंजीकृत किया गया। यह उसका साक्ष्य है कि उसने पीडब्ल्यू-6 को हमलावरों के नाम और अपराध के अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा किया, जिन्होंने उसके कहने पर शिकायत लिखी थी। पीडब्ल्यू-1 अपने भाई, बहनोई और पीडब्ल्यू-6 के साथ पुलिस स्टेशन गया और पीडब्ल्यू-18 को मामले की सूचना दी, लेकिन उसने केवल ए-2 और ए-3 को अभियुक्त के रूप में नामित किया ए-1 को नहीं। इस गवाह की गवाही से यह स्थापित नहीं हुआ है कि ए-1 अपनी पत्नी की हत्या के उक्त दिन और समय पर ए-2 और ए-3 के घर में मौजूद था।

16. पीडब्ल्यू- 6 ने अपने बयान में कहा कि रसीथा बेगम की हत्या की घटना के दिन सुबह लगभग 1:00 या 10:30 बजे, वह कराईकुडी में अम्बेडकर प्रतिमा के पास खड़ा था, जब पीडब्ल्यू-1 और उसके बहनोई जागीर हुसैन उसके पास आये और बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसका शव ए-2 और ए-3 के घर में पड़ा है। उसने पी.डब्ल्यू-1 के

कहने पर (प्रदर्श पी 1) शिकायत लिखी। उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि शिकायत लिखने के बाद (प्रदर्श पी 1), इसे पीडब्ल्यू 1 को पढ़ा गया, जिसने इसकी सामग्री को सही मानने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए। ये गवाह जमात का सदस्य है। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1994 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कराईकुडी से तिरुपत्तूर तक पीने के पानी की उचित और समय पर आपूर्ति की व्यवस्था नहीं करने के लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस स्टेशन, कराईकुडी के पुलिस अधिकारियों द्वारा कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। जहां प्रासंगिक समय पर पी.डब्ल्यू-17 और 18 कार्यरत थे। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। उसके साक्ष्य में यह आया है कि शिकायत (प्रदर्श पी 1) उनके द्वारा पीडब्ल्यू-1 के घर में लिखी गयी थी, जबकि पीडब्ल्यू-1 का यह विशिष्ट मामला था कि प्रदर्श पी1 उसके द्वारा पी.डब्ल्यू 6 से रास्ते में लिखवाई गई। जब वह अपने भाई अलीयार और बहनोई जागीर हुसैन के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था। ये दोनों गवाह सुसंगत नहीं हैं और उन्होंने शिकायतकर्ता के शिकायत दर्ज कराने के स्थान के संबंध में अलग-अलग और विरोधाभासी बयान दिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस तंत्र कार्रवाई में जुट गया।

17. पीडब्ल्यू-3 मुमताज की साक्ष्य से पता चलता है कि एक तरफ पीडब्ल्यू-1 और दूसरी तरफ ए-2 और ए-3 के परिवार के सदस्य नाली के पानी के बहाव और पीडब्ल्यू-1 के घर के सामने ए-3 द्वारा रिक्शा ऑटो की पार्किंग को लेकर अक्सर एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे। उसकी साक्ष्य से यह भी पता चलेगा कि हत्या की घटना के दिन सुबह लगभग 10:00 बजे मृतका और ए-2 के बीच ए-2 के घर के सामने नाली का पानी फेंकने को लेकर काफी बहस हुई थी और इसमें ए-3 द्वारा हस्तक्षेप किया गया और मामला सुलझाया गया था। उसने कहा कि दोपहर 03.00 बजे, पी.डब्ल्यू.-1 परिवार के सदस्यों के नोटिस में यह बात आई कि रसीथा बेगम अपने घर में मौजूद नहीं पाई गई। रसीथा बेगम के लापता होने की सूचना पीडब्ल्यू-1 को दी गई, जो लॉरी शेड में अपने रोजगार के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया हुआ था। यह उसका साक्ष्य है कि 29.03.1995 की सुबह, रसीथा बेगम का शव ए-2 के घर के अंदर पड़ा हुआ पाया गया और उसके दोनों हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और एक चावल की थैली और अन्य घरेलू सामग्री उसके शव के उपर रखी हुई पाई गई थी। उसने फरीता, फातिमा बीबी और कुछ अन्य लोगों के साथ पीडब्ल्यू-1 को घटना के बारे में सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंचा और ए-2 के घर के अंदर अपनी पत्नी का शव देखकर वे पुलिस स्टेशन अपनीप पत्नी की हत्या की घटना की सूचना देने पहुंचे। जिरह में उसने स्वीकार किया कि पीडब्ल्यू 1 उसका चचेरा भाई है। इस गवाह ने स्वीकार किया कि जमात की बैठक में रसीथा

बेगम की मौत पर चर्चा हुई थी। उसने स्वीकार किया कि वह पलानी बाबा के नेतृत्व में प्रदर्शन और जुलूस में शामिल हुई थी। पीडब्ल्यू-4 की गवाही की बारीकी से जांच करने पर, हमने पाया हैं कि उसने अपनी साक्ष्य में ए-1 को ए-2 व ए-3 के घर में मौजूद होना नहीं बताया। जब घटना के दिन सुबह लगभग 10:00 बजे रसीथा बेगम उनके घर जा रही थी।

18. पीडब्ल्यू-4 ने कहा कि उसने अपने भाई पीडब्ल्यू-1 को 28.03.1995 को रात लगभग 9:00 बजे अपनी भाभी के घर से लापता होने के बारे में सूचित किया था। उसने दावा किया कि हत्या की घटना वाले दिन उसने ए-1 को उसके सिल्वर वर्कशॉप में देखा था। पीडब्ल्यू-5 फरीता बेगम पीडब्ल्यू-1 के घर के पास रहती है और उसका घर ए-3 के घर के पास में है। उसने यह भी कहा कि ए-1 उसके घर के पास एक वर्कशॉप चला रहा है। दिनांक 29.03.1995 की सुबह उसने ए-2 और ए-3 के घर में रसीथा बेगम का शव देखा।

19. पीडब्ल्यू-17 सब इंस्पेक्टर और पीडब्ल्यू-18 पुलिस निरीक्षक ने अपनी गवाही में कहा कि ए-1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने के नाते, प्रशासन के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कराईकुडी क्षेत्र में किए गए कई प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल था। यह पीडब्ल्यू-18 की साक्ष्य है कि वर्ष 1994 में सभी राजनीतिक दलों ने कराईकुडी से तिरुपत्तूर तक पेयजल सुविधा की अपर्याप्त और अनुचित आपूर्ति के लिए नागरिक प्रशासन

के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उक्त आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के साथ ए-1 ने भी भाग लिया था जिसमें कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य कन्नन को मार पड़ी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कन्नन को हथकड़ी लगाने के संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उक्त मामले में ए-1 गवाह के रूप में पेश हुआ और उनके खिलाफ गवाही दी। पीडब्ल्यू-18 ने तब कहा कि आरटीओ ने भी उसी घटना के बारे में पूछताछ की थी जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कराईकुडी के एक सदस्य रामचंद्रन ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। पीडब्ल्यू-17 ने जिरह में स्वीकार किया है कि 1994 में सभी राजनीतिक दलों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल के हाथों चोटें आई। उक्त घटना के लिए, आरटीओ द्वारा उनके और पीडब्ल्यू-18 के खिलाफ जांच की गई थी, जो संबंधित समय पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे और बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन, कराईकुडी से स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि उसी घटना के लिए उनके और पीडब्ल्यू-18 के खिलाफ भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें ए-1 गवाह के रूप में पेश हुआ और उनके खिलाफ गवाही दी। पीडब्ल्यू-17 और पीडब्ल्यू-18 के साक्ष्यों के अनुसार, निस्संदेह वे ए-1 के खिलाफ गवाही देने वाले शत्रुतापूर्ण गवाह है, जिन्हें बाद में इन गवाहों द्वारा मुख्य रूप से संदेह और असंभवता के आधार पर अपराध में फंसाया गया प्रतीत होता है। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि भले ही यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि

ए-1 ने ए-2 के साथ मिलकर रशिता बेगम की हत्या की, लेकिन चूंकि ए-1 के ए-2 के साथ अवैध संबंध थे और जिस दिन हत्या की घटना के अनुसार, ए-3 के अपने घर से निकलने के बाद ए-1 को मृतका ने ए-2 के घर जाते हुए देखा था और जिज्ञासावश मृतका ए-2 के घर गया था जहाँ उसकी संयुक्त रूप से हत्या कर दी गई थी। ए-1 और ए-2 द्वारा विद्वान विचारण न्यायाधीश का यह निष्कर्ष और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, हमारे विचार में, पूरी तरह से अस्थिर है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि ए-1 का ए-2 के साथ अवैध संबंध था और किसी भी ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक सबूत के अभाव में, ए-1 को केवल मृतका की हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परिकल्पना और संदेह पर यदि पूरी घटना पीडब्ल्यू-4 द्वारा उसके भाई पीडब्ल्यू-1 को शिकायत दर्ज करने से पहले बताई गई थी (प्रदर्श पी-1), तो पीडब्ल्यू-1 के लिए शिकायत में ए-1 के नाम का खुलासा करना स्वाभाविक था। एक हमलावर के रूप में, जिसके आधार पर पीडब्ल्यू-18 द्वारा एफआईआर (प्रदर्श पी- 14) दर्ज की गई थी। ए-1 और ए-2 द्वारा रसीथा बेगम के शव से आभूषण निकालने के संबंध में पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्य के संस्करण के साथ जुड़े हुए हैं। पी.डब्ल्यू. 14 और 18 और ए-1 द्वारा कथित तौर पर दिए गए जुर्म स्वीकार बयान को विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा विश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं पाया गया

और तदनुसार उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। सबूतों के उसी सेट पर, ए-3 के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414 के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं मिला और उसे संदेह का लाभ दिया गया है।

20. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य के स्वतंत्र विश्लेषण पर हमने पाया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे ए-1 के खिलाफ रसीथा बेगम की हत्या के आरोप को साबित करने में असफल रहा है। जैसा कि निर्णय के पहले भाग में देखा गया है, हम घटना के दिन प्रासंगिक समय पर ए-2 और ए-3 के घर पर ए-1 की उपस्थिति के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1, 3, 4 और 5 की गवाही में भौतिक विसंगतियां, असंगतता और महत्वपूर्ण सुधार पाते हैं।। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और ऊपर चर्चा किए गए सबूतों के आलोक में और ऊपर प्रकाश डाले गए कानून के सिद्धांतों के आलोक में परीक्षण किया गया, यह माना जाना चाहिए कि दर्ज किए गए निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई यह स्पष्ट त्रुटि और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की अनुचित सराहना से ग्रस्त है। इस प्रकार रिकॉर्ड पर आने वाले साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, ए-1 संदेह के लाभ का हकदार है।

21. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। ए-1 की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया गया है और उसे संदेह का लाभ देकर रसीथा बेगम की हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। अपीलकर्ता-कृष्णन अभिरक्षा में है और उसे निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में अभिरक्षा उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है। यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।